झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-05

चतुर्थ(शीतकालीन) सत्र
सोमवार, दिनांक-21 दिसम्बर, 2015 ई०।
समय-11.00 बजे पूर्वा० से 05.57 बजे अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.शपथ या प्रतिज्ञान:-

आसन के निदेश से सभा सचिव द्वारा पुकारे जाने पर 72, लोहरदगा (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र में सम्पन्न उप-चुनाव के दौरान नव निर्वाचित माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा हिन्दी में शपथ लिया गया।

2.विविध चर्चायें:-

i- दिनांक-18.12.2015 को सभा द्वारा स्वीकृत ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन(झारखण्ड संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को मजदूर विरोधी बताते हुए माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा वापस लेने की माँग की गयी। आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि चूँकि उक्त विधेयक नियमानुसार सदन द्वारा पारित किया जा चुका है, इसलिए इसे वापस नहीं किया जा सकता है;

ii- इस अवसर पर माननीय सदस्य, सर्वश्री जगरनाथ महतो, डॉ० अनिल मुर्मू, कुणाल षड़ंगी, निरल पुरती, पौलुस सुरीन, अमित कुमार, श्रीमती जोबा मांझी एवं विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में उक्त विधेयक को वापस लेने सम्बन्धी स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर सदन की "वेल"में आ गये और नारेबाजी करने लगे;

iii- माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव ने मलेशिया में बंधक बने 38 मजदूरों को मुक्त करने की माँग की जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री नागेन्द्र महतो ने भी किया;

iv- माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने विपक्ष द्वारा उक्त विधेयक को वापस लिये जाने सम्बन्धी माँग को खारिज करते हुए आग्रह किया कि यदि वे नियमानुसार सदन में उठाते हैं, तो सरकार इसपर विचार कर सकती है, उनकी हठधर्मिता पर विचार नहीं किया जा सकता है;

v- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि उनके द्वारा संशोधन दिया गया था, परन्तु भारी शोरगुल के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

3.आसन से नियमन:-

"सदन की कार्यवाही न तो सरकार के बहुमत के आधार पर और ना ही विपक्ष की हठधर्मिता पर चलती है, बल्कि वह विधायी प्रक्रिया के आधार पर ही संचालित होती है", विषयक नियमन आसन से हुआ। इसके उपरांत आसन द्वारा प्रश्नकाल बाधित नहीं किये जाने हेतु बार-बार आग्रह किया गया।

P.T.O.

आसन द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के बावजूद भी विपक्ष द्वारा सदन की "वेल" में धरना एवं नारेबाजी की जाती रही, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की **कार्यवाही 11.30 बजे पूर्वा० से 11.40 बजे पूर्वा०** तक के लिए स्थगित की गयी।

स्थगनोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया लेकिन, पूर्व की भाँति अव्यवस्था का माहौल जारी रहा, अतएव पुनः **11.50 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या०** तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया और पुनः पूर्ववत् अव्यवस्था का माहौल जारी रहा। इस अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मान्य नियमों का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को नियमानुसार अपनी बात रखे जाने हेतु आग्रह किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस विषय को सदन में उठाया जाना है उसकी पूर्व सूचना आसन को दी जानी चाहिए, लेकिन सदन की "वेल" में नारेबाजी पूर्ववत् जारी रहने एवं अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही **2.00 बजे अप०** तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

अन्तराल के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा बरियातू में दो लड़कियों के हुए अपहरण की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया। माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने अखबार दिखाते हुए पलामू में तोड़-फोड़ का विषय लाया, माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सचेतकों के सम्मेलन में हुए निर्णयों को सदन पटल पर रखे जाने की माँग की गयी, इसके अतिरिक्त कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखण्ड के अंचलाधिकारी सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा पेड़ काटे जाने सम्बन्धी कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी भी माँगी गयी जिसपर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। इस बीच पुनः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कतिपय माननीय सदस्य "वेल" में आकर पूर्व की भाँति नारेबाजी करने लगे जिससे भारी शोरगुल होने लगा।)

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 2014-2015, झारखण्ड सरकार, जिसे विधान-सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी;

ii- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 की धारा-3(ङ) के अन्तर्गत निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-9/वि०महा०-07-11/15-186(9)/राँची, दिनांक-14.10.2015 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी;

iii- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० नीरा यादव द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा नियमावली, 2015 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी;

iv- प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-12(6) एवं (7) के अधीन झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय, राँची से प्राप्त वर्ष-2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी,

P.T.O.

v- माननीय सदस्य, श्री नलिन सोरेन द्वारा लोक लेखा समिति का 23वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया;

vi- माननीय सभापति, श्री बिरंची नारायण द्वारा प्राक्कलन समिति का पाँचवाँ प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सभा पटल पर रखा गया;

vii- माननीय सभापति, श्री अशोक कुमार द्वारा सरकारी आश्वासन समिति का 28वाँ प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सभा पटल पर रखा गया;

viii- माननीय सभापति, श्री रवीन्द्र नाथ महतो द्वारा शून्यकाल एवं गैर-सरकारी संकल्प समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सभा पटल पर रखा गया;

ix- माननीया सभापति, श्रीमती जोबा माँझी द्वारा महिला एवं बाल विकास समिति का 9वाँ प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सभा पटल पर रखा गया।

5.विधायी कार्य:-

i- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीया मंत्री श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीया प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन सदन की भावना को देखते हुए इस विधेयक को 15 दिनों के अन्दर जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रवर समिति को आसन द्वारा सौंपा गया।

ii- झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii- बाबा वैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-3 से खण्ड-38 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

P.T.O.

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। **बाबा वैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक, 2015** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv- झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-3, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

v- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-1 एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर सदन की "वेल" में आये झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य आसन के आग्रह पर अपने-अपने स्थान पर चले गये)

6. विशेष वाद-विवाद:-

राज्य में खाद्य सुरक्षा से उत्पन्न स्थिति पर वाद-विवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने प्रस्तुत किया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

(इस अवसर पर आज सदन में लोहरदगा विधान सभा क्षेत्र से कॉंग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत के निमित्त दो मिनट का अतिरिक्त समय दिये जाने की घोषणा आसन से की गयी।)

श्री अनंत कुमार ओझा

श्री योगेन्द्र प्रसाद

(इस अवसर पर सदन की अनुमति से सभा का समय सरकार के उत्तर होने तक विस्तारित किया गया।)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर,

P.T.O.

श्री आलमगीर आलम,
श्री अशोक कुमार,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री सुखदेव भगत,
श्रीमती बिमला प्रधान,
श्रीमती जोबा मांझी,
श्री जय प्रकाश वर्मा,
श्री राजकुमार यादव,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री रामकुमार पाहन,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
श्रीमती गीता कोड़ा एवं
श्री बादल।

इसके उपरांत माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने आसन से अनुरोध किया कि सूखाग्रस्त इलाकों में जनता को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दस किलो अनाज दिये जाने की व्यवस्था सरकार करे।

7.आसन से निदेश:-

बिना राशन कार्डधारी व्यक्तियों को भी किरासन तेल दिये जाने हेतु आसन द्वारा सरकार को निदेशित किया गया। इसके उपरांत आसन द्वारा निम्न भावना व्यक्त की गयी-

''आज सभा की कार्यवाही समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ।

विधेयक पर विचार करना, उसे पारित करना विधायिका का एक अति महत्त्वपूर्ण दायित्व है। हमारे आपके विचार-विमर्श के बाद सभा से पारित विधेयक कानून का रूप लेता है और आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

दिनांक- 18.12.2015 को सभा द्वारा पारित एक विधेयक पर असंवैधानिक तरीके से पुनर्विचार करने का दवाब विपक्ष के कुछ दलों के द्वारा सभा में बनाया गया और उनमें से कुछ सदस्य सभा की कार्यवाही में अव्यवस्था बनाने के लिए उत्साहित थे। यह दु:खद है कि यह असंसदीय तरीका उसी समय अपनाया गया जब सभा आज अन्य विधेयकों पर विचार कर रही थी।

अतएव विपक्ष के माननीय सदस्यगयण विधायी गरिमा के सम्बन्ध में चिन्तन करें। ''

इसके पश्चात् सरकारी उत्तरोपरांत सदन की कार्यवाही मंगलवार,दिनांक-22.12.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित की गई।

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2015 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

—X—